


22-03-2023

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त कर निवेदन किया है कि वादीगण का प्रतिवादीगण से शर्जीनामा हो चुका है बादपत्र में कोई अनुतोष नहीं चाहते हैं। अतः पुनः वादपत्र पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए इस वाद पत्र को Note Press करने की इजाजत प्रदान करें। अतः वकील वादी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर वादीगण का पुनः वादपत्र पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए यह वादपत्र Note Press के कार्यालय पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली वाद तरीक़ा तस्वील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिख्य जाकर कुले न्यायालय में मुनासब गण।


(अनिता बिशनोई)
R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

Note
press
by me
पत्रावली
दवाकर
R.A.S.